अन्तिम नियम

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
ऊर्जा भवन, शिवाजी नगर, भोपाल–462016

भोपाल दिनांक 11 मई 2006

क्रमांक.1236–मप्रविनिआ –2006– विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 वर्ष 2003) की धारा 47 (1) सहपठित धारा 181(2)(व्ही), धारा 47(4) सहपठित धारा 181(2)(डब्ल्यू), धारा 47(2), 47(3) तथा 47(5) सहपठित धारा 181(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग एतद् द्वारा अधिसूचना क्रमांक 2560–विनिआ–04, दिनांक 22 सितंबर 2004 द्वारा अधिसूचित मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (प्रतिभूति निक्षेप) विनियम 2004 में निम्नानुसार संशोधन करता है ।

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (प्रतिभूति निक्षेप) विनियम, 2004 में तृतीय संशोधन

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ

(i) ये विनियम **''मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (प्रतिभूति निक्षेप) विनियम, 2004(तृतीय संशोधन) (एजी–17 (iii) वर्ष, 2006)''** कहलायेंगे।

(ii) ये विनियम मध्यप्रदेश शासन के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकशन तिथि से प्रभावशील होंगे।

(iii) इन विनियमों का विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य होगा।

2. विनियम 1.5 में संशोधन

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (प्रतिभूति निक्षेप) विनियम, 2004 जिन्हें इसके बाद प्रधान विनियम कहा जावेगा, में **अनुच्छेद 1.5** को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात् :

''1.5 अनुज्ञप्तिधारी समस्त उपभोक्ताओं से निम्न हेतु प्रतिभूति निक्षेप जमा करवा सकता है :

(अ) मीटरों हेतु

(ब) लाइनों तथा संयत्रों हेतु

(स) विद्युत की खपत हेतु''

3. विनियम 1.6 में संशोधन

प्रधान विनियमों में, **अनुच्छेद 1.6** को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात् :

''1.6 प्रतिभूति निक्षेप की राशि सामान्यतया केवल नगद या ड्राफ्ट के रूप में स्वीकार की जावेगी, यदि प्रतिभूति निक्षेप की राशि रूपये दस लाख से कम हो। ऐसे प्रकरणों में जहां प्रतिभूति निक्षेप की राशि, अतिरिक्त प्रभूति निक्षेप राशि को सम्मिलित कर रूपये दस लाख से अधिक हो, वहां दस लाख रूपये से अधिक होने वाली राशि की बैंक गारंटी स्वीकार की जावेगी तथा अनुज्ञप्तिधारी द्वारा ब्याज का भुगतान केवल नगद निक्षेप हेतु ही किया जावेगा। धनादेश (चेक) भी इस शर्त पर स्वीकार किये जा सकेंगे कि चेक की राशि के भुगतान प्राप्त होने पर ही विद्युत प्रदाय प्रारंभ किया जा सकेगा।''

4. विनियम 1.12 में संशोधन

प्रधान विनियमों में, **अनुच्छेद 1.12** में सरल क्रमांक 1 पर कॉलम **"दिनों की संख्या"** के अंतर्गत शब्दों ''90 अस्थाई संयोजन की पूर्ण अवधि हेतु'', के स्थान पर निम्न शब्द अंर्तस्थापित किये जावें, अर्थात :

''90
अस्थाई संयोजन की पूर्ण अवधि हेतु, न्यूनतम 60 दिवस की अवधि के अध्यधीन, यदि संयोजन माह जुलाई से फरवरी के मध्य उपयोग किया जाना हो तथा न्यूनतम 30 दिवस की अवधि के अध्यधीन, यदि संयोजन माह मार्च से जून के मध्य, थ्रेशिंग कार्य हेतु उपयोग किया जाना हो। उपभोक्ता तथापि, संयोजन का उपयोग यहां दर्शायी गई अवधि से कम दिवसों हेतु प्रतिभूति निक्षेप की वसूली बाबत्, प्रतिभूति निक्षेप की राशि पूर्ण अवधि हेतु जमा किये जाने के अध्यधीन कर सकेगा। प्रतिभूति निक्षेप की अधिक राशि संयोजन अवधि के पूर्ण होने तथा संयोजन के असंयोजन उपरांत वापसी योग्य होगी।''

5. विनियम 1.14 में संशोधन

प्रधान विनियमों में, **अनुच्छेद 1.14** को निम्नानुसार अंर्तस्थापित किया जावे, अर्थात् :

''1.14 वितरण अनुज्ञप्तिधारी निम्नदाब उपभोक्ताओं हेतु एक पूर्व भुगतान योजना लागू करेगा जो कि या तो पूर्व भुगतान मीटर के उपयोग द्वारा अथवा अनुज्ञप्तिधारी द्वारा नामांकित किसी बैंक खातों की व्यवस्था द्वारा, पोस्ट आफिस बचत बैंक खाता सम्मिलित करते हुए, संचालित की जावेगी तथा उपभोक्ता द्वारा वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अधिसूचित पूर्व–भुगतान योजना हेतु विकल्प दिये जाने पर, उसे विद्युत प्रतिभूति निक्षेप का भुगतान किये जाने की आवश्यकता नहीं होगी।''

6. विनियम 1.21 में संशोधन

प्रधान विनियमों में, **अनुच्छेद 1.21** में, शब्दों, ''उपभोक्ता से ली गई प्रतिभूति निक्षेप पर अनुज्ञप्तिधारी बैंक दर से (संबंधित वित्तीय वर्ष की 1 अप्रेल को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्वीकृत प्रचलित दर) ब्याज देगा'' के स्थान पर निम्न शब्दों को अंर्तस्थापित किया जावे, अर्थात्:

''उपभोक्ता से ली गई प्रतिभूति निक्षेप पर अनुज्ञप्तिधारी बैंक दर से (संबंधित वित्तीय वर्ष की 1 अप्रेल को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्वीकृत प्रचलित दर पर) ब्याज देगा सिवाय उन प्रकरणों में जहां प्रतिभूति निक्षेप बैंक गारंटी के माध्यम से प्रस्तुत किया गया हो।''

आयोग के आदेशानुसार

अशोक शर्मा, उप सचिव